भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2853

उत्तर देने की तारीख : 12/08/2026

यूडीआईडी परियोजना का कार्यान्वयन

2853. श्री मंसूर अली खान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2021 से अब तक प्राप्त हुए, जारी किए गए, अस्वीकार किए गए और लंबित विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;
(ख) 2021 से हर वर्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन की योजना के तहत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई सहायता अनुदान राशि कितनी है;
(ग) यूडीआईडी आवेदन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार औसत प्रक्रमण समय क्या है और आज की तिथि तक पोर्टल पर लंबित आवेदनों की चरण-वार स्थिति क्या है; और
(घ) यूडीआईडी पोर्टल के कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और लंबित मामलों को कम करने हेतु केंद्रीय सहायता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) परियोजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत दिव्यांगता के प्रकार और प्रकृति के आधार पर दिव्यांगता का आकलन करने तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों को ऑनबोर्ड किया जाता है। वर्ष 2021 से 05.08.2026 तक प्राप्त, जारी, अस्वीकृत और लंबित विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट घटक के लिए वर्ष 2021 से 05.08.2026 तक जारी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता अनुदान **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ग): यूडीआईडी आवेदन के लिए औसत प्रसंस्करण समय, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा 05.08.2026 तक पोर्टल पर चरण-वार लंबित स्थिति को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** पर संलग्न है।

(घ): यूडीआईडी पोर्टल की कार्यप्रणाली में सुधार करने और लंबित संख्या को कम करने के लिए केंद्रीय सहायता अनुदान बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

(i) बेहतर सुरक्षा सुविधाओं, उन्नत यूजर अनुभव और अतिरिक्त सेल्फ-सर्विस कार्यक्षमताओं के साथ 06.05.2024 को यूडीआईडी पोर्टल का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया था।

(ii) डुप्लीकेट यूडीआईडी कार्ड जारी होने से रोकने के लिए यूडीआईडी डेटाबेस को आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

(iii) फर्जी या धोखाधड़ी वाले यूडीआईडी कार्ड जारी होने से रोकने के लिए कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा यूडीआईडी कार्ड जनरेट करने हेतु आधार ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है।

(iv) दिव्यांगजनों को अस्पतालों में जाए बिना विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए एक सेल्फ-सर्विस डैशबोर्ड शुरू किया गया है, जैसे यूडीआईडी कोर्ड खो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट यूडीआईडी कार्ड जारी करना, कार्ड सरेंडर करना, और नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी को अपडेट करना।

(v) दिव्यांगता आकलन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिए 14.03.2024 को राजपत्र में दिव्यांगता आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे।

(vi) नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 112 आकांक्षी जिलों में यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष सैचुरेशन ड्राइव शुरू की गई है।

(vii) UDID उप-योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूकता सृजन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना की खरीद, मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के डिजिटलीकरण तथा राज्य समन्वयक की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध I

''यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन'' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्राप्त आवेदन	बनाए गए यूडीआईडी कार्ड की संख्या	अस्वीकृत आवेदन	लंबित आवेदन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3501	2774	134	275
2	आंध्र प्रदेश	875777	838170	2960	13101
3	अरुणाचल प्रदेश	4081	3596	34	429
4	असम	286455	186079	37193	15811
5	बिहार	835590	600961	35334	138040
6	चंडीगढ़	11320	7783	460	1111
7	छत्तीसगढ	108205	103295	1390	1132
8	दिल्ली	201441	105077	41129	28571
9	गोवा	14925	11328	1424	955
10	गुजरात	279060	260586	5211	11464
11	हरियाणा	314266	195002	69665	23860
12	हिमाचल प्रदेश	80567	64033	1451	12881
13	जम्मू और कश्मीर	283495	197912	54639	15832
14	झारखंड	259395	197483	15349	30463
15	कर्नाटक	728300	542987	77764	50654
16	केरल	341559	261139	22359	36329
17	लद्दाख	4047	3958	4	84
18	लक्षद्वीप	741	624	11	2
19	मध्य प्रदेश	458156	402819	16396	18510
20	महाराष्ट्र	1336265	951983	113465	118862
21	मणिपुर	18158	13797	357	3749
22	मेघालय	13790	13469	188	80
23	मिजोरम	5239	4800	23	410
24	नागालैंड	4065	3564	16	482
25	ओडिशा	865329	552496	106999	39152
26	पुदुचेरी	13161	11570	710	681
27	पंजाब	237977	164635	29250	7208
28	राजस्थान	557383	407127	15651	28869
29	सिक्किम	4343	4143	77	112
30	तमिलनाडु	780179	714472	15236	18345
31	तेलंगाना	535250	431820	5968	42459
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5142	3821	400	578
33	त्रिपुरा	43708	42261	225	1167

34	उत्तर प्रदेश	1502927	1088418	146452	167696
35	उत्तराखंड	104703	96409	4385	815
36	पश्चिम बंगाल	444788	271724	2642	133437
	कुल	11563288	8762115	824951	963606

अनुबंध- II

''यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन'' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(राशि लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.50	8.04	6.00	6.50	4.38
आंध्र प्रदेश	6.00	5.00	6.00	5.20	7.10
अरुणाचल प्रदेश	23.25	6.00	3.00	6.00	6.00
असम	6.70	7.13	3.00	4.00	9.44
बिहार	59.36	5.00	6.00	6.30	
चंडीगढ़		6.75	4.37	6.30	6.58
छत्तीसगढ	6.50				0.80
दिल्ली	5.87			6.00	6.29
गोवा	5.29	4.28	6.00	1.00	
गुजरात	12.29	3.00	3.00	3.00	12.75
हरियाणा	36.00	6.00	3.00	4.43	6.72
हिमाचल प्रदेश					
जम्मू और कश्मीर		4.57	5.78	3.15	6.45
झारखंड		16.00			
कर्नाटक			8.49	3.00	5.41
केरल	41.82		3.00	6.23	6.30
लद्दाख	6.00	3.00			
लक्षद्वीप					
मध्य प्रदेश	6.00				
महाराष्ट्र					
मणिपुर		3.00	5.66		7.18
मेघालय		18.00	6.00	3.00	3.30
मिजोरम	14.19				
नागालैंड	3.50	6.00	6.00	4.00	5.00
ओडिशा	9.00	3.65	6.00	4.00	2.00
पुदुचेरी	4.07				
पंजाब	6.00	4.00		2.70	6.78

राजस्थान	26.63		5.09		3.15
सिक्किम	6.00	3.00	2.91	3.00	9.30
तमिलनाडु	9.00	6.00	7.50	3.00	5.38
तेलंगाना	59.96	5.67	3.00		0.94
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव					3.06
त्रिपुरा		15.82		3.52	4.38
उत्तर प्रदेश		9.76	33.70	1.20	7.83
उत्तराखंड	6.00	3.00	6.00	3.15	6.15
पश्चिम बंगाल		6.00			
कुल	363.93	158.67	139.50	88.68	142.67

अनुबंध-III

''यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन'' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	यूडीआईडी कार्ड जारी होने में लगने वाले औसत दिन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	635
2	आंध्र प्रदेश	12
3	अरुणाचल प्रदेश	37
4	असम	158
5	बिहार	106
6	चंडीगढ़	213
7	छत्तीसगढ	142
8	दिल्ली	263
9	गोवा	184
10	गुजरात	181
11	हरियाणा	168
12	हिमाचल प्रदेश	185
13	जम्मू और कश्मीर	147
14	झारखंड	104
15	कर्नाटक	232
16	केरल	360
17	लद्दाख	30
18	लक्षद्वीप	431
19	मध्य प्रदेश	253
20	महाराष्ट्र	202
21	मणिपुर	174
22	मेघालय	252
23	मिजोरम	4
24	नागालैंड	68
25	ओडिशा	242
26	पुदुचेरी	75
27	पंजाब	131
28	राजस्थान	44
29	सिक्किम	20
30	तमिलनाडु	259
31	तेलंगाना	32
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	83
33	त्रिपुरा	185

34	उत्तर प्रदेश	152
35	उत्तराखंड	92
36	पश्चिम बंगाल	144

अनुबंध- IV

''यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन'' के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 06.08.2026 तक लंबित आवेदन चरण-वार							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आवेदन प्रस्तुत किया गया**	**आवेदन सत्यापित**	**दिव्यांगता मूल्यांकन विशेषज्ञ नियुक्त किया गया**	**विशेषज्ञ की सिफारिश प्रस्तुत की गई**	**मेडिकल बोर्ड नियुक्त**	**मेडिकल बोर्ड की सिफारिश प्रस्तुत की गई**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	118	3	143	0	0	15
2	आंध्र प्रदेश	11194	950	177	3	3	816
3	अरुणाचल प्रदेश	260	130	34	0	1	15
4	असम	7404	579	7360	4	15	480
5	बिहार	97058	3024	35937	85	118	2976
6	चंडीगढ़	809	45	245	1	2	31
7	छत्तीसगढ	622	97	201	14	8	214
8	दिल्ली	24169	1027	3182	17	29	218
9	गोवा	845	5	16	0	0	86
10	गुजरात	8185	1161	4422	56	100	1731
11	हरियाणा	15440	252	7878	20	44	271
12	हिमाचल प्रदेश	6984	580	6464	20	83	347
13	जम्मू और कश्मीर	5662	266	10244	1	10	180
14	झारखंड	17813	3659	8702	44	35	549
15	कर्नाटक	43182	2248	6664	358	234	1526
16	केरल	34651	934	203	68	78	515
17	लद्दाख	43	24	27	0	0	9
18	लक्षद्वीप	2	1	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	14310	1802	2262	169	62	885
20	महाराष्ट्र	89899	13262	12098	1593	525	4230
21	मणिपुर	735	297	3507	3	15	43
22	मेघालय	75	8	2	0	1	3

23	मिजोरम	308	52	4	1	1	61
24	नागालैंड	208	235	1	0	2	40
25	ओडिशा	34547	1156	1478	177	140	2022
26	पुदुचेरी	201	28	348	67	2	40
27	पंजाब	3983	152	2810	17	58	635
28	राजस्थान	12593	2317	11474	627	1105	772
29	सिक्किम	64	24	2	0	2	20
30	तमिलनाडु	10966	1214	3368	233	209	2466
31	तेलंगाना	41216	557	296	58	42	274
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	551	26	10	0	4	10
33	त्रिपुरा	866	45	187	0	3	78
34	उत्तर प्रदेश	131326	2073	34285	308	106	2153
35	उत्तराखंड	476	83	182	0	4	79
36	पश्चिम बंगाल	122809	3995	4887	109	74	1571
	कुल	739574	42311	169100	4053	3115	25361